न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 11.10.2023

अपील संख्या 2023/180

उनवान

1. पुष्पाबाई बेवा रामचन्द्र, जाति गूर्जर
2. मनभर बाई पुत्री रामचन्द्र, जाति गूर्जर
3. मथरीबाई पुत्री रामचन्द्र, जाति गूर्जर
4. चाहन्या बाई पुत्री रामचन्द्र, जाति गूर्जर
   निवासीगण रतनपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू
2. गिरीश कान्त शर्मा पुत्र ललित किशोर
3. दीप्ति शर्मा पुत्री ललित किशोर
4. शिखा शर्मा पुत्री ललित किशोर
   जातिगण ब्राहमण, निवासीगण अटरू हाल निवासी आर्य समाज रोड़, छोटी महारानी स्कूल के सामने रामपुरा, कोटा (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार श्री संदीप सक्सैना रेस्पोडेंट की ओर से

दिनांक : 30.09.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 59/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल रतनपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां में खाता संख्या 77 का खसरा नं. 1019 रकबा 1.28 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2022 से ग्राम रतनपुरा की विवादित आराजी खसरा नं. 1019 रकबा 1.28 हेक्टर पर पेश वादीयागण वाद संख्या 59/2013 एवं प्रतिवादीगण का सलंग्न वाद संख्या 10/2016 दोनों खारिज किये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री वाद के तथ्यों वाद पत्रावली के दस्तावेजों एवं साक्ष्यों से असंगत एवं विधि एवं प्रकिया विधि के प्रावधानों के विपरीत विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की साक्ष्य एवं प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजों अनुसार विवाद्यक सं. 1 व 2 का विधि सम्मत विवेचना न कर अपीलांटगण का वाद

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खारिज करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अस्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधानों को अनदेखा कर निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री साम्या, न्याय एवं असदभाविक, विधि विपरीत होने से निरस्तनीय है।

वाद की विवादित आराजी पर अपीलांटगण एवं उनके पूर्वजों का सन् 1979 से काबिज चले आ रहे हैं, दीर्घकालीन पक्ष द्रोही एवं प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर अर्जित खातेदार कृषक होने के अधिकारों को मान्यता देकर अपीलांटगण का वाद काश्तकारी विधि अनुसार स्वीकार करना था, ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण का वाद निरस्त कर निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है।

विधि शास्त्र में कब्जा स्वामित्व का नवा भाग होता है। रेस्पोडेंट क्रम 2 ता 4 के नाना कन्हैयालाल ने दिनांक 30.04.1979 को अपने खातेदारी की आराजी को प्रतिफल प्राप्त कर अपीलांटगण के पिता रामचन्द्र को बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने के उपरान्त कन्हैयालाल ने अपने खातेदारी अधिकारों का परित्याग कर दिया। मृतक रामचन्द्र सहित अपीलांटगण का उक्त आराजी पर दिनांक 30.04.1979 से आज तक 44 वर्षों का दीर्घकालीन कब्जा होने से अपीलांटगण के उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार अर्जित होने से अपीलांटगण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकार होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण का वाद निरस्त करने में भारी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण एवं उनके गवाहान के बयानों को अनदेखा कर विवाद्यक सं. 1 व 2 का विनिश्चय काश्तकारी कानून के प्रावधानों, सिद्धांतों के विरूद्ध किया है। अपीलांटगण एवं उनके गवाहान पी.डब्ल्यू. 2 से पी.डब्ल्यू. 4 ने विवाद्यक सं. 1 व 2 के तथ्यों को अपने साक्ष्य से पूर्णतया सिद्ध किया है। साक्ष्य से पूर्णतया सिद्ध एवं साबित हुए विवाद्यकों को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के विरूद्ध निर्णित करने में विधि की भारी भूल की है।

विवाद संख्या 1 व 2 के विनिश्चय में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी पर दिनांक 30.04.1979 से अपीलांटगण का निरन्तर कब्जा होना माना है। फिर भी विवाद्यकों विनिश्चय अपीलांटगण के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर विधि की भारी भूल की है।

विवादित आराजी पर दिनांक 30.04.1979 से मृतक कन्हैयालाल एवं उसके पुत्र जसवन्त कुमार, जसवन्त कुमार की मृत्यु उपरान्त विद्यादेवी का कभी भी कब्जा नहीं रहा। जसवन्त कुमार एवं विद्यादेवी के पक्ष में खोला गये नामान्तरकरण से रेस्पोडेंट कम 2 ता 4 को किसी भी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। नामान्तरकरण कार्यवाही फिसिकल कार्यवाही है। जमाबंदी स्वामित्व का प्रमाण नहीं है। अपीलांटगण दीर्घकालीन पक्ष द्रोही एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के वैधानिक अधिकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2022 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.08.2023 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पति व पिता ने रेस्पोडेंट क्रम 02 ता 04 के मृतक नाना कन्हैयालाल पुत्र मूलचंद से जर्ये इकरारनामा दिनांक 30.04.1979 को 1650/– रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। क्रय के उपरान्त अपीलांट के पति व पिता मृतक रामचन्द्र अपने जीवनकाल तक उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहे है। उनकी मृत्यु उपरान्त से अपीलांटगण उक्त वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। मृतक कन्हैयालाल के पुत्र जसवंत ने भी दिनांक 19.06.1985 को बेचान की सहमति दे दी थी। कन्हैयालाल के पुत्र जसवंत के लाऔलाद फौत होने पर उसका फौती नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 20.05.2014 जसवंत की बहन विद्यादेवी के नाम खोला गया जो गलत है। वादग्रस्त आराजी पर वर्षों से हमारा कब्जा चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा वाद संख्या 59/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2022 को अपास्त करने की डिक्री पारित की जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों ने खातेदार जसवंत कुमार पुत्र कन्हैयालाल के लाऔलाद फौत होने पर उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जसवंत की बहन विद्यादेवी पुत्री कन्हैयालाल के नाम फौती नामान्तरकरण दर्ज किया जो नियमानुसार सही है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1 की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द द्वारा वादी अपीलांट के पति व पिता रामचन्द्र पुत्र कंवरलाल के पक्ष में दिनांक 30.04.1979 को निष्पादित अनरजिस्टर्ड इकरारनामे की प्रतिलिपियों एवं वादग्रस्त आराजी

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सहायक अपील प्राधिकारी कोटा

पर लम्बे समय से चले आ रहे उनके कब्जे के आधार पर कब्जा मुखालफाना होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 91 के तहत वादीगणों को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करने हेतु वाद दायर किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांट का वाद दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारों को सुनवायी व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है क्योंकि अनरजिस्टर्ड इकरारनामे की प्रतिलिपि एवं कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करना विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील के स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/09/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. पुष्पाबाई बेवा रामचन्द्र, जाति गूर्जर
2. मनभर बाई पुत्री रामचन्द्र, जाति गूर्जर
3. मथरीबाई पुत्री रामचन्द्र, जाति गूर्जर
4. चाहन्या बाई पुत्री रामचन्द्र, जाति गूर्जर

निवासीगण रतनपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू
2. गिरीश कान्त शर्मा पुत्र ललित किशोर
3. दीप्ति शर्मा पुत्री ललित किशोर
4. शिखा शर्मा पुत्री ललित किशोर

जातिगण ब्राहमण, निवासीगण अटरू हाल निवासी आर्य समाज रोड, छोटी महारानी स्कूल के सामने रामपुरा, कोटा (राज0)

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2023/180**
मु.द.नं0 **59/2013**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **25.08.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 09** सन् **2024**

श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से, पैरोकार सरकार **श्री संदीप सक्सैना** रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2022 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **30 माह 09 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)